राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।

क्रमांक--एफ 4(ई)(पी-11/89) अलेसे-III/ 472-481 दिनांक - 25-4-2012

आदेश संख्या 20 /2012-13

श्री पूरणमल जाग्रत, कनिष्ठ लेखाकार व अन्य के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा अपराध सं. 250/1999 अंतर्गत धारा भ्र.नि.अ. 1988 की धारा 13(1)(सी)(डी) एवं 13(2) तथा भा.द.सं. 1860 की धारा 409, 420, 467, 468, 471 एवं 120बी, अपराध सं. 253/1999 भ्र.नि.अ. 1988 की धारा 13(1)(डी) एवं 13(2) तथा भा.द.सं. 1860 की धारा 409, 420, 467, 468, 471 एवं 120बी एवं अपराध सं. 254/199 भ्र.नि.अ. 1988 की धारा 13(1)(सी)(डी) एवं 13(2) तथा भा.द.सं. 1860 की धारा 409, 420, 467, 468, 471 एवं धारा 120बी दर्ज किये जाने के कारण कार्मिक (क-3-शिका) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.2(2)(124) का/क-3/शिका/99 दिनांक 30.01.2008 के द्वारा आरोपी अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था। निलम्बित कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 20.01.2012 को बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री पूरणमल जाग्रत कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व /2012 दिनांक 24.04.2012 के अनुसरण में श्री पूरणमल जाग्रत, कनिष्ठ लेखाकार जो दिनांक 30.01.2008 से निलम्बित चल रहे हैं, को पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से निलम्बन से बहाल किया जाता है तथा बहाली पर इनका पदस्थापन उपकोष, घाटोल (बांसवाड़ा) में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त बहाली माननीय न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय जांच के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय एवं विभागीय जांच के निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।

उक्त आदेश राज्य सरकार, वित्त (राजस्व) विभाग का पत्र क्रमांक प-2(1) वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में लोकहित में जारी किये जाते हैं।

निदेशक 25/4/2012

क्रमांक:-एफ 4(ई)(पी-11/89) अलेसे-III/472-481 दिनांक:-25-4-12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(1) वित्त/राजस्व /2012 दिनांक 24.04.2012 के क्रम में।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3/शिका) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (विधि एवं जांच) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी, बांसवाड़ा।
7. उपकोषाधिकारी, घाटोल (बांसवाड़ा)।
8. श्री पूरणमल जाग्रत, कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित), मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर फैक्स द्वारा इस विभाग को सूचित करें।
9. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।
10. निजी सहायक निदेशक।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्री महेन्द्र कुमार गोयल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)

KOSH & LEKHA DEPT\Kosh & Lekha.doc